

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुदेशीय परियोजना/
मुख्य अभियंता, चापिडल कम्पलेक्स/ईचा—गालूडीह कम्पलेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 04/11/2020

विषय :-

सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना अन्तर्गत Agreement No-LCB-03/1985-16 एवं LCB-4/1985-86 से उद्भूत Arbitration मेसर्स आर.के. कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित Award के मूलधन की राशि के भुगतान हेतु रु. 19.22820 लाख (रु. उन्नीस लाख बाईस हजार आठ सौ बीस मात्र) रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं.-19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19 & 1465/25.09.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700—मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है

(लाख रु. में)

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12—ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49C470080789120545	14000.00	1425.90	0.00	1425.90
2.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12—ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49C470080789120545	6000.00	1271.78	0.00	1271.78
3.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12—ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080789120545	5000.00	0.00	19.22820	19.22820
4.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12—ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080789120545	4000.00	0.00	0.00	0.00
5.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	13—सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080796130545	2500.00	0.00	0.00	0.00
6.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	13—सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080789130545	2500.00	0.00	0.00	0.00
7.	49—जल संसाधन विभाग, 4700 — मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80—सामान्य/ 796—जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	11—उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45— निर्माण कार्य; विपत्र कोड — 49S470080796110545	2645.00	0.00	0.00	0.00
कुल				36645.00	2697.68	19.22820	2716.90820
8.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च, 2020 तक योजना पर कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्गत आवंटन	योजना पर कुल निर्गत आवंटन			
	661374.00	654164.42526	2716.90820	656881.33346			

वर्तमान आवंटित राशि — ₹ उन्नीस लाख बाईस हजार आठ सौ बीस मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा:-
 (राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	विपत्र कोड	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में			On-line Allotment Access No	अभ्युक्ति
							पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	सिंचाई प्रमंडल—गालूडीह (JSRIRR104)	49S47008079612 0545	पूर्व गालूडीह / चालूडीह कॉम्पलेक्स	रिचा बहुदेशीय योजना	661374.00	656164.42526	0.00	19.22820	19.22820	55425	
							योग	0.00	19.22820	19.22820	

3. आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध (49S470080796120545) ₹ 5000.00 लाख (₹ पचास करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि योजना—सह—विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक—1135, दिनांक—01.07.2020 के आलोक में केन्द्र प्रयोजित योजना के राज्यांश की राशि है।
5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक—19.09.16 के आलोक में होगा।
6. आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, के अनुरूप किया जायेगा।
7. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि का अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रूप से कराते होंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no कंडिका-2 के स्तंभ-10 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

97

रॅची, दिनांक :- 04/11/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॅची/कोषागार पदाधिकारी, रॅची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसाँवा/चाईबासा/चापिल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/11/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

97

रॅची, दिनांक :- 04/11/2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग / आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॅची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॅची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

03/11/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव